अपील सूचना अधिकार संख्या 152/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर 152/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09-01-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.09.16 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः-

> वर्ष 2007 से वर्ष 2009 तक घरेलू गैस सिलेण्डर पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसिटी की राशि की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 02.09.16 के द्वारा चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई हैं, जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपना जबाब सं0 6324 दि0 18.10.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्र संबंधित गैस एजेन्सियों रजि0 पत्र सं0 5821-5822-5823 दिनांक 05.09.16 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दी गई थी जिसकी प्रति रजि0 पत्र सं0 5824 दिनांक 05.09.16 से अपीलार्थी को भिजवा दी गई थी। अपीलार्थी का यह कहना कि जानबूझकर उसे सूचना नही दी जा रही है सही नही है। हिन्दुस्तार पेट्रोलियम कार्पोरेशन जोधपुर ने भी अपने पत्र दिनांक 08.09.16 द्वारा नियत अवधि में सूचना उपलब्ध करवा दी थी। घरेलू गैस सिलेण्डरो पर दी जाने वाली सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा नही दी जा रही है। अपीलार्थी को सूचना प्राप्त होने के बावजूद भी अपील दायर की गयी है जो खारिज करने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध जिला रसद अधिकारी के पत्र सं0 5821-5824 दिनांक 05.09.2016 की प्रति अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के लिए आवेदन पत्र की प्रतियां 1-मुख्य प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल लि0, राज0 प्रोजेक्ट, 12 पुरानी रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर 2-वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 जोधपुर, एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय भगत की कोठी, जोधपुर 3-ट्रेरोटोरी मैनेजर एण्ड सीपीआईओ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 प्लाट न0 एसपीएल 308 खाद्य ग्रोथ सेन्टर रिको बीकानेर से संबंधित होने के कारण सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया था एवं अपीलार्थी को भी पत्र की प्रति दी गयी है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से न होकर बल्कि 1-मुख्य प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल लि0, राज0 प्रोजेक्ट, 12 पुरानी रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर 2-वरिष्ठ क्षेत्रीय अधिकारी एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 जोधपुर, एलपीजी क्षेत्रीय कार्यालय भगत की कोठी, जोधपुर 3-ट्रेरोटोरी मैनेजर एण्ड सीपीआईओ भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 प्लाट न0 एसपीएल 308 खाद्य ग्रोथ सेन्टर रिको बीकानेर से संबंधित है। यदि अपीलार्थी उक्त एजेन्सीयों से प्राप्त सूचनाओ से सन्तुष्ट नही है तो उसे संबंधित अपील अधिकारी को अपील करनी चाहिए। जिसके लिए वह स्वतन्त्र है। अपीलार्थी की अपील पर यहां से कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 09.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर